न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 52/2017/अपील

1. हीरालाल
2. बाबुलाल
3. परमानन्द

} पुत्रगण स्व0 गोविन्दराम

4. श्रीमती फुली देवी पत्नी श्री हीरालाल

समस्त जाति महाजन निवासी खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर
2. अधीशाषी अधिकारी, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1212 दिनांक 30.08.2012 द्वारा तहसीलदार खण्डेला बाबत खसरा नम्बर 1334, 1335 वाकै ग्राम व पटवार हल्का खण्डेला

वकील अपीलांट श्री रामप्रकाश गुप्ता

वकील रेस्पोडेंट श्री कन्हैयालाल

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः–11.10.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम खण्डेला की तन मे भूमि खसरा नम्बर 1334 रकबा 0.44 है0 एवं 1335 रकबा 0.5 है0 अवस्थित है, जिस पर सन् 1969 से पेट्रोल पम्प राज्य सरकार के आदेश से स्थापित है। उक्त भूमि की किस्म अकृषि अर्थात पेट्रोल पम्प संचालन हेतु प्रारम्भ से ही चली आ रही है, जो भूमि मय संयत्र व पेट्रोल पम्प अपीलान्ट संख्या 1 ता 3 के कब्जे, अधिकार व व्यावसायिक उपयोग मे है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी पूर्व मालिक खातेदारी नन्दकिशोर गणपत जाति महाजन के नाम व भूमि की किस्म बारानी प्रथम भूल व त्रुटिवश गलत दर्ज होने के कारण अन्य खातेदारान के खसरा नम्बरान के साथ अपीलान्ट के पेट्रोल पम्प वाले खसरा नम्बर 1334, 1335 भी जरिये अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1212 दिनांक 30.08.2013 अन्तर्गत धारा 90–क भू राजस्व अधिनियम खातेदारी नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज हो गई। अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1334, 1335 का नामान्तकरण नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज किये जाने का कोई कारण नही था और उक्त नामान्तकरण के कारण पेट्रोल पम्प के खसरा नम्बर की भूमि के लिज डीड के नवीनीकरण की विधिक प्रकिया मे रूकावट उत्पन्न हो गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश विरूद्ध कानून व प्रकिया है क्योंकि खसरा नम्बर 1334, 1335 की भूमि पर राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश से पेट्रोल पम्प संचालित है और लीज डीड निष्पादित होती है, तो धारा 90–क के अन्तर्गत खातेदारी नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज होने का कोई विधि सम्मत कारण नही है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे खसरा

नाम एवं किस्म भूमि बारानी प्रथम दर्ज रही, जबकि खातेदारी पश्चातवर्ती खातेदार–क्रेता श्रीमती सुरजी देवी पत्नी श्री गोविन्दराम महाजन निवासी खण्डेला के नाम एवं किस्म भूमि पेट्रोल पम्प दर्ज होनी चाहिये थी, जो अपीलान्ट संख्या 1 ता 3 की माताजी है एवं उनका स्वर्गवास हो चुका है। पूर्व खातेदार एवं पेट्रोल पम्प संचालक नन्दकिशोर गणपत महाजन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.11.79 अपीलान्ट संख्या 1 ता 3 की माता श्रीमती सुरजी देवी के पक्ष मे अपनी भूमि मय पेट्रोल पम्प एवं अधिकार अन्तरित कर दिये थे, जो अधिकार राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के यहा चली रिवीजन/एलआर/223/93/सीकर मे पारित निर्णय दिनांक 07.04.1998 के द्वारा मान्य व पुष्ट हुये है, परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे उक्त निर्णय की पालना नहीं हो पाई है। तत्पश्चात दिनांक 13.01.2015 को जिला कलक्टर सीकर तथा दिनांक 26.09.2015 उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां से तहसीलदार खण्डेला को पत्र जारी किया गया कि नामान्तकरण संख्या 1212 दिनांक 30.08.2013 द्वारा भूमि नगरपालिका खण्डेला के नाम कैसे दर्ज हो गई और कैसे त्रुटि रही। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे त्रुटि व भूमि सुधार नही हुआ। फिर अपीलान्ट द्वारा पुनः जिला कलक्टर को स्मरण कराये जाने पर पत्र दिनांक 08.09.2016 तहसीलदार खण्डेला को प्रेषित किया गया, जिसके अनुसरण मे तहसीलदार खण्डेला द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई कि पेट्रोल पम्प वाली भूमि नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज होने मे मानवीय भूल हुई है और लीजशुदा भूमि नगरपालिका के नाम कानूनन दर्ज नही हो सकती तथा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 07.04.1998 के द्वारा भी भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है और आवश्यक निर्देश दिये जाने की प्रार्थना की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1212 दिनांक 30.08.2012 को निरस्त करने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार खण्डेला के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। तहसीलदार खण्डेला द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण अन्तर्गत धारा 90–क भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करते हुये नगरपालिका खण्डेला के नाम से तस्दीक किया गया है। धारा 90क के उक्त आदेश के सम्बंध में सक्षम स्तर पर चाराजोही करनी चाहिए थी। अपीलाधीन नामान्तकरण उक्त आदेश अन्तर्गत धारा 90क भू–राजस्व अधिनियम के तहत ही स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अपीलांट के नाम से दर्ज रिकार्ड होने अथवा अपील मेमों में अंकित कथनानुसार वादग्रस्त आराजियात की अपीलांट के नाम लीज डीड बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त आराजियात पर अपीलांट का हक अधिकार होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा केवल मात्र कथन किया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मेंमों में अंकित कथनों की पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की समग्रता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने से यह कतई स्पष्ट है कि चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण दर्ज करनें में कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official